

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-4-14	<p>उमयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनवाई से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक...21.3.14. को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
21-3-14	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 27.11.14 शि.रं.</p>	
27-11-14	<p>उमयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजव्यय से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक...19-3-15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रीडर सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
15-3-15	<p>उमयपक्ष उपस्थित/ उपस्थित न होकर अवकाश पर रहते ही पत्रावली दिनांक 7-4-15 को पेश हो।</p>	
7-4-15	<p>वकीलवादी उपस्थित, प्रतिवादी वकील की शक्त शक्त को लीसवार आवाजे लगाई गई अनुपस्थित होने से एक तरफा खबर वकीलवादी की सुनी गई। पत्रावली दिनांक मुद्देश दिनांक 16.4.15 को पेश हो।</p>	
16-4-15	<p>वकीलवादी उपस्थित/ पत्रावली वास्ते मुद्देश दिनांक 7.5.15 को पेश हो।</p>	
7-5-15	<p>पत्रावली पेश/ सुकरणी से बहस हेतु उमयपक्ष सुधवक्तवियों को शक्त शक्त को लीसवार आवाजे लगाई गई। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकीलवादी की बहस वकीलवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य प्रतिवादिप अधीमती दीसी व उससे अपापम मुकाम वारिसान द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों को अन्वेषण विपरीत गपा। वारिसा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य एवं कथानों, इतम माण्डल की जामाअत संवत् 2046-49 क श्वा.स. 1408 पर अंकित</p>	



संशोधित डिक्री

( आठ 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नाण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वईजलास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान ( आ०ए०ए०स० )

अनवान प्रकरण

श्री मती हरकु ड० स्व० किराना भील निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल  
श्री अवेर ड० किराना भील

वादी

बनाम

श्री सैवा ड० सैके भील निवासी चिमनपुरा तहसील - बनेडा  
श्रीमती दीसी मृतक के बजाय अरादीरा शोफ पुत्र दीसी भा० ना० सरसद शोक्लात  
ड० एवाइराम भील नि० कतरी खैडा  
श्रीमती रामू ड० किराना भील पत्नी देवी भील निवासी पुर त० भीलवाडा  
श्रीमती काली ड० किराना भील पत्नी कतरी भील निवासी भीम कखैडा त० माण्डल  
राजस्थान राज्य परिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 56/02 नुकदमा नं० / वर्ष 56/02 निर्णय दिनांक 20.6.19

यह नुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतरी स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वाली

निनजानिव मुददई व श्री सरदकुमार पालीवाल को मलाभिव मुदादला पश इशर हुपम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर

ग्राम माण्डल के बजाय ग्राम मालीखैडा पवार हल्का सैतोकरा  
तहसील माण्डल पढ़ा जावे बाकी आदेश थपवत रहेगा ।

स्वर्चा फरिक्ने अपना-अपना वहम करे ।

आज तारीख 20.6.19 को मेरे इस्लामर एव न्यायालय की भांडर से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
नाण्डल जिला भीलवाड़ा

( आ० २० नियम ३ / जा० २००० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नाण्डल जिला मोलमाडा राजस्थान

वईजलास श्री देवी सिंह रावत ( कायमदार )

अनायास प्रकरण

1. श्री सती हरकु प/० स्व० किशान लील निवासी - नाण्डल, तहसील - नाण्डल
2. श्री अंवर प/० किशान लील निवासी - नाण्डल, तहसील - नाण्डल

वाद

जान

1. श्री सेवा प/० सैफ लील निवासी चित्तपुर, तहसील - जैपुर
2. श्रीमती शीसी सुबड के बजाय जगदीश गोटपुर जैसे अजलिय लाल इंसलम प/० सुबड के बजाय लील, किशान
3. श्रीमती राजू प/० किशान लील वाली देवी लील निवासी - पुर तहसील
4. श्रीमती काली प/० किशान लील वाली चित्तपुर लील निवासी - जगतपुर तहसील, नाण्डल
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसील पुर नाण्डल तहसील - नाण्डल

प्रत्येक

वाद अन्तर्गत धारा इंशान मुकदमा नं० / ३६ ५६/०२ नियम दिनांक ७-५-२०१५

यह मुकदमा अज अदालत याद इनफेसल जहाँ नरुप अदालत व हिजरो जगत वादे निनजानिव मुदवाई व श्री शारदकुमार वालीवाल नजानिव मुदाम्य म्या होकर हुस दिया जाता है कि डिफेंड वी जाती है कि अतः वाद वादिया स्वीकार दिया

आकर ग्राम नाण्डल की प्रथमगत आ.नं. ७५२० रकबा ११/३ व ७५२१ रकबा ११/१ के १/२ हिस्से पर सु० शीसी देवा किशान के बजाय वही स. १ व २ तथा शतिवारी स. ३ व ५ को खातेदार कायमदार घोषित किया जाता है।

रपर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख ७-५-२०१५ को नरु हस्ताक्षर एवं न्यायालय को नोडर से जारी की गई।

